संख्या-02/2019/पी-01/अड़तीस-9-2019-09(बजट)/2017

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक-09 जनवरी, 2019**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद में केन्द्रांश के रूप में रू0 1,59,00,000.00 (रू0 एक करोड़ उन्सठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पत्र सं0-4172/20/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2018 दिनांक-31.12.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-पी0-17024/26/2006-आर0सी0(पी0ए0आर0टी0) (वी0ओ0एल-1) (एफ0टी0एस0 नं0-339266) दिनांक-28.12.2018 की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1,59,00,000.00 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1,59,00,000.00 (रू0 एक करोड़ उन्सठ लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(2)- धनराशि जिन मदों में वस्तुत: स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मदों में ही किया जायेगा, अन्य किसी मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करते हुए आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुये किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में समर्पित किया जायेगा।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत दिशा निर्देशों व शासन के संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- व्यय धनराशि के उपभोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 व शासनादेश संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक-24.04.2018 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नाम से स्टैट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले बचत खाता संख्या-10616665816 में तत्काल जमा किया जायेगा।

(9)- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-02/2019/पी-01(1)/अड़तीस-9-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबा**द।**
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- डा0 सुरभि राय, उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कक्ष सं0-369, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
10- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11- गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in